



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 25.06.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-बालगिरी पुत्र जयप्रकाश निवासी
ग्राम खासपुर थाना चांदीनगर
जनपद बागपत ।

2-ज्ञानेन्द्र पुत्र सन्तराम निवासी
ग्राम सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद
बागपत ॥



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (01 वारंटी)

2-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.6.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास उर्फ विककी पुत्र विनोद कुमार नि० जैन मौहल्ला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- हे०का० 494 राहुल कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- का० 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत ।
- 4- का० 982 नीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 25.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 356/25 धारा 87/64(1) बी०एन०एस० में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 356/25 धारा 87/64(1) बी०एन०एस० में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट-उपरोक्त अभियोग विवेचना के दौरान में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जहीर पुत्र रहीसू निवासी ग्राम निरोजपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2- है०का० 818 इल्यास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का० 874 सतेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 25.06.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 178/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 178/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व ¾



पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट-उपरोक्त अभियोग विवेचना के दौरान में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विजय पुत्र टीकाराम नि0 वार्ड नं0 4 प्रेमपुरी लाइनपार खेकडा थाना खेकडा बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरी0 अपराध ओमप्रकाश आर्य थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 25.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 311/25 धारा 115(2)/109/351 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, .315 बरामद ।

सक्षिप्त विवरण:

दिनांक 22.05.2025 को थाना बडौत वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र उजाला सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्त विशू उर्फ महान पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के घर आकर वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच की, जिसका विरोध करने पर वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें वादी बाल-बाल बच गया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 311/25 धारा 115(2)/109/351 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 311/25 धारा 115(2)/109/351 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

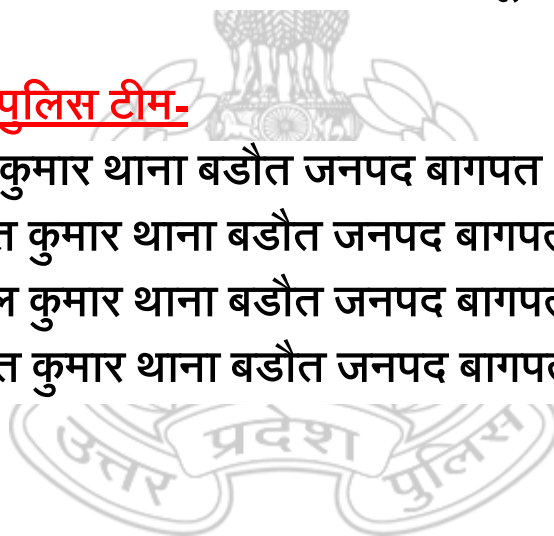
विशु उर्फ महान पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. है०का० 361 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. है०का० 138 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. है०का० 366 अंकित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 25.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने मु0अ0सं0 186/25 धारा
126(2)/352/115(2)/110/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को
किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.06.2025 को थाना रमाला पर वादी आवेदक श्री पंकज पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम किशनपुर बराल थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर अभियुक्तों 1.सोनू पुत्र ओमवीर 2.मोनू पुत्र ओमवीर 3.छोटू पुत्र ओमवीर निवासीगण ग्राम किशनपुर बराल थाना रमाला जनपद बागपत व 01 अज्ञात द्वारा एक राय होकर वादी के भाई अंकित का मार्ग अवरुद्ध किया तथा मार्ग अवरुद्ध करने से मना करने पर वादी के भाई के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की, जिससे वादी के भाई का बेहोश गया एवं जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 186/25 धारा 126(2)/352/115(2)/110/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 186/25 धारा 126(2)/352/115(2)/110/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रमाला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सुनील पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-मोनू पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-अनिल उर्फ छोटू पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सूरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-का0 913 शंकरलाल बघेल थाना रमाला जनपद बागपत।

